

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 101/2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/119

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा (राज)

बनाम

1. श्री गेबीलाल पुत्र श्री अमर जी कलाल
निवासी राजपुत मौहल्ला, आनन्दपुरी,
बांसवाड़ा (विक्रेता) मैसर्स गायत्री कोल्ड
ड्रिंक्स, राजपुत मौहल्ला, कोबा रोड,
आनन्दपुरी, बांसवाड़ा
2. श्री मुकेश केशवलाल देसाई पुत्र श्री
केशवलाल देसाई निवासी भाग्योदय
सोसायटी, गोविन्द नगर, दाहोद, गुजरात
मैसर्स श्री कृष्णा स्वीट्स मार्ट, अपोजिट हेड
पोस्ट ऑफिस, एम.जी रोड, दाहोद, गुजरात

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 16-12-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 11-11-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 12-03-2024 को दौराने गश्त 2.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स गायत्री कोल्ड ड्रिंक्स, राजपुत मौहल्ला, कोबा रोड, आनन्दपुरी, बांसवाड़ा पर पहुंचा तो वहाँ पर श्री गेबीलाल पुत्र श्री अमर जी कलाल मिले। विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स गायत्री कोल्ड ड्रिंक्स, राजपुत मौहल्ला, कोबा रोड, आनन्दपुरी, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर परिसर में प्रिमियम सेव (श्री कृष्णा स्वीट्स) 6 पैकेट प्रत्येक पैकेट 500 विक्रय हेतु रखा था। जिसको एफ.एस.एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नहीं होने का शक हुआ। शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए प्रिमियम सेव (श्री कृष्णा स्वीट्स) के 4 पैकेट वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 560/- रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा प्रिमियम सेव (श्री कृष्णा



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

स्वीट्स) के 4 पैकेट के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा का कोड क्रमांक **W-1751** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होंने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/189 दिनांक 18-04-2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 324 दिनांक 21-03-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया प्रिमियम सेव (श्री कृष्णा स्वीट्स) का नमूना कोड क्रमांक **W-1751** Contains extraneous matter + Contravences of Regulation 3(1) (i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। जिसकी सूचना विक्रेता/मालिक को दी गई। विक्रेता ने नमूने की पुनः जाँच हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। मैसर्स गायत्री कोल्ड ड्रिंक्स, राजपुत मौहल्ला, कोबा रोड, आनन्दपुरी, बांसवाडा को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं अन्य फर्म से अग्रिम माल खरीद बिल की सूचना देने के लिये पत्र लिखने पर विक्रेता ने श्री कृष्णा स्वीट्स मार्ट, अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस, एम.जी रोड, दाहोद, गुजरात विक्रेता द्वारा प्रिमियम सेव (श्री कृष्णा स्वीट्स) का खरीद बिल एवं अनज्ञा पत्र प्रस्तुत किया। विक्रेता द्वारा



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला फूड अडर)
बांसवाडा (राज.)

Contains extraneous matter + Contravences of Regulation पाया खाद्य पदार्थ प्रिमियम सेव (श्री कृष्णा स्वीट्स) विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 54 एवं 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 12-11-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणों को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 02-12-2024 को अप्रार्थी सं. 1 की ओर से मोहम्मद शमीम अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। अप्रार्थी सं. 1 एवं अप्रार्थी सं. 2 के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जुर्म स्वीकरोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पर लगे आरोप स्वीकार कर नरमी का रुख अपनाते हुए लोक अदालत की भावना निस्तारण हेतु निवेदन किया। आरोपीगणों की ओर से अपराध स्वीकार कर लिया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाड़ा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/189 दिनांक 18-04-2024 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 324 दिनांक 21-03-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया प्रिमियम सेव (श्री कृष्णा स्वीट्स) का नमूना कोड क्रमांक **W-1751** Contains extraneous matter + Contravences of Regulation 3(1) (i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (i) के तहत Contains extraneous matter + Contravences of Regulation पाया गया प्रिमियम सेव (श्री कृष्णा स्वीट्स) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 54, 58 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणों को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री गेबीलाल पुत्र श्री अमर जी कलाल निवासी राजपुत मौहल्ला, आनन्दपुरी, बांसवाड़ा (विक्रेता) मैसर्स गायत्री कोल्ड ड्रिंक्स, राजपुत मौहल्ला, कोबा रोड, आनन्दपुरी, बांसवाड़ा को रुपये 5000/- (अक्षरे पाँच हजार रुपया मात्र), श्री मुकेश केशवलाल देसाई पुत्र श्री केशवलाल देसाई निवासी भाग्योदय सोसायटी, गोविन्द नगर, दाहोद, गुजरात मैसर्स श्री कृष्णा स्वीट्स मार्ट, अपोजिट हेड पोस्ट



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

ऑफिस, एम.जी रोड, दाहोद, गुजरात को रूपये 100000/- (अक्षरे एक लाख रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 16-12-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलेक्टर)
(अति.जिला (मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)